संख्या–59एम / 26–2–2005–100(13) / 05

प्रेषक,

अनिल सन्त
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण एवं जनजाति
विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2005

विषय :–समाज कल्याण विभाग तथा जनजातीय विकास विभाग के अधीनस्थ अनुदानित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 60वर्ष से 62वर्ष किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग तथा जनजातीय विकास विभाग के अधीनस्थ अनुदानित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 60वर्ष से 62वर्ष किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि :–

" समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60वर्ष के स्थान पर 62वर्ष की जाय ।"

उक्त निर्णय के अनुपालन में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60वर्ष के स्थान पर 62वर्ष की जाती है। अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल सन्त
सचिव

संख्या–59(एम) / 26–2–05–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
3– समस्त कोषाधिकारी।
4– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5– समाज कल्याण अनुभाग–1 / 3
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner